

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 26 जून, 2012

संख्या वैब 2/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2012. – संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची ग में,—

- (i) खाना 1, तथा 2 के नीचे क्रम संख्या 14 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
“14	बिटूमन जिसमें बिटूमन ईमलशन तथा क्रम रबड़ मोडिफाई बिटूमन शामिल है”:-

- (ii) खाना 1, तथा 2 के नीचे क्रम संख्या 25 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
“25	बल्क औषधियां, औषधियां, दवाईयां, टीका, औषधि अनुज्ञप्ति के अधीन उत्पादित औषधयुक्त मरहम, आई पी ग्रेड लाईट लिक्विड पैराफिन, सीरीजे, पट्टियां, ग्लूकोस-डी, जीवन रक्षक घोल, चिकित्सिय उपकरण/यन्त्र तथा इम्प्लांट, ऑपरेशन थिएटर में रोगियों की सर्जरी के लिये प्रयुक्त सर्जिकल टेबल्स तथा लाईटस ”

राजन गुप्ता
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।